टी0ए0 मिस केस सं0 188/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
09-01-2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **1.गुलिया देवगम, 2.प्रधान देवगम, 3.प्रकाश देवगम तीनों के पिता– स्व० माडकी देवगम, ग्राम– खप्परसाई**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– **पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **दुम्बीसाई**, थाना नं0– **643**, खाता न0– **80**, प्लॉट न0– **72**, रकवा– **0.08 एकड़** भूमि क्रेता **रानी देवगम, पति– मंगल सिंह देवगम, ग्राम– बरान्ड़ेया**, थाना– **मुफ्फसिल**, चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेतागण के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1302**,दिनांक **22.12.2020** के द्वारा प्राप्त है। मकान निर्माण एंव अन्य जरूरतों की पूर्ती हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **रानी देवगम, पति– मंगल सिंह देवगम, ग्राम– बरान्ड़ेया**, थाना– **मुफ्फसिल**,चाईबासा के पास 5,00,000.00/–(**पाँच लाख रुपये) मात्र**। में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी **2.50** एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेतागण **1.गुलिया देवगम, 2.प्रधान देवगम, 3.प्रकाश देवगम तीनों के पिता– स्व० माडकी देवगम, ग्राम– खप्परसाई**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **दुम्बीसाई**, थाना नं0– **643** खाता न0– **80**, प्लॉट नं0– **72**, रकवा– **0.08एकड़**, भूमि को क्रेता **रानी देवगम, पति– मंगल सिंह देवगम, ग्राम– बरान्ड़ेया**, थाना– **मुफ्फसिल**, चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 09/01/21 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	